सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

19 मार्च, 2018

षोडश विधान-सभा | 19 मार्च, 2018 ई0
------------ | सोमवार,तिथि -------------
नवम् सत्र | 28 फाल्गुन,1939(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय -11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

एक महत्वपूर्ण कार्य, शपथ ग्रहण का कार्य तो हो जाने दीजिये । संवैधानिक काम तो हो जाने दीजिये ।

(व्यवधान)

आप संवैधानिक काम तो हो जाने दीजिये न । शपथ ग्रहण का काम हो जाने दीजिये, क्यों बीच में जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शपथ की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । सभा सचिव ।

<u>शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण</u>

सभा सचिव: महोदय, महामहिम राज्यपाल बिहार से प्राप्त संदेश को मैं पढ़ता हूॅ :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद-188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सत्यपाल मलिक, बिहार का राज्यपाल इसके द्वारा बिहार विधान-सभा के अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूॅ जिनके समक्ष बिहार विधान-सभा के उप निर्वाचन, 2018 में बिहार विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-205, भभुआ एवं 216, जहानाबाद से निर्वाचित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे ।

पटना दिनांक 16 मार्च, 2018 (सत्यपाल मलिक)
राज्यपाल, बिहार

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रति आपके सामने है । जब आप पुकारें जायें, तब आपको उसे पढ़ना है, सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है । अब सचिव नाम पुकारेंगे ।

सभा सचिव: निर्वाचन क्षेत्र संख्या-205, भभुआ, श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय ।

माननीय सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान
श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय	शपथ

अध्यक्ष: अब आप आकर हस्ताक्षर करें ।

सभा सचिव: निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 216, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

अध्यक्ष: क्या दूसरे माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अब शपथ ग्रहण की कार्यवाही समाप्त की जाती है । माननीय सदस्यगण, प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।अल्पसूचित प्रश्न संख्या-29, मा0स0श्री कुमार सर्वजीत ।

(इस अवसर पर राजद,कांग्रेस एवं माले के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सवाल उठाना चाहते हैं, अगर अपनी जगह से ये सवाल उठायेंगे तो सरकार के संज्ञान में भी बात आयेगी और सरकार उसका उत्तर भी दे सकती है महोदय । लेकिन वेल में आकर कुछ सवाल उठा रहे हैं, जो हमलोगों को सुनाई पड़ रहा है कि कौन-सा सवाल उठा रहे है । महोदय, कोई मक्का हाथ में लेकर खड़े हैं, कोई दूसरे तीसरे तरह की बात बोल रहे हैं, तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय सदस्यों से कि अपनी-अपनी जगह पर जायें और अपनी-अपनी जगह से, कोई बात है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो उसको रखने का काम करें तो सरकार उसका भी उत्तर दे सकती है। महोदय, माननीय सदस्य सदन का समय जो बर्बाद कर रहे हैं, अल्पसूचित प्रश्न महत्वपूर्ण है, तारांकित प्रश्न महत्वपूर्ण है और वे समय का उपयोग सदन में नहीं करना चाहते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए इनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद हंगामा खड़ा करना है । तो हम पुन: एक बार आग्रह करते हैं माननीय सदस्यों से कि अपनी-अपनी जगह पर जायें और वहां से अपनी बातों को रखेंगे तो सरकार उसका उत्तर भी दे सकती है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाकर बोलिये न?

(व्यवधान जारी)

टर्न-2/मधुप/19.03.2018

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाकर बोलिये न ! (व्यवधान) सरकार कुछ कहना चाह रही है ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में तेजनारायण यादव के पिता के हत्यारे को बचाने के लिये ये लोग हंगामा कर रहे हैं । भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे । ये उनकी मदद करना चाहते हैं, तेजनारायण यादव के पिता के हत्यारे को मदद करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं । ये लोग कानून के खिलाफ जाना चाहते हैं ।

यह पूरा जो नाटक इनका है, जो इनके समर्थक पूरे बिहार में उपद्रव कर रहे हैं, उन समर्थकों को संरक्षण देने के लिये ये हंगामा करना चाहते हैं । इनको जो कहना है तो अपनी सीट पर जाकर अपनी बात करें । लेकिन अनावश्यक रूप से मुद्दे को उछाल कर ये अगर चाहेंगे भारत विरोधी लोगों को बचाना, सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, बचायेगी नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी-अपनी सीट पर जाकर बोलिये न !

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन में मक्का लेकर आये हैं, माननीय कृषि मंत्री ने इसी सदन में बात को रखा है और कहा है कि ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से जो भी नुकसान किसानों को हुआ है, स्पेसिफिक मक्का के बारे में कहा है कि हम उसकी जॉच करा रहे हैं और जॉच के बाद हम उन किसानों की भरपाई भी करेंगे । तो फिर ये रोज-रोज मक्का का सवाल क्यों उठा रहे हैं ? कभी इस सदन में उठाते हैं, कभी उस सदन में उठाते हैं, कभी बाहर उठाते हैं, कभी भीतर उठाते हैं, इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है । जिसका सरकार रास्ता निकाल चुकी है, निदान कर चुकी है, वैसे मामले को ये लेकर आते हैं ।

मैं आग्रह करना चाहता हूॅं कि अगर किसानों के हितैषी हैं तो ये सूची उपलब्ध करावें, जहॉं-जहॉं किसानों को दिक्कत पहुॅंच रही है, उन परेशानियों को दूर करने में सरकार को सूची उपलब्ध करायें । सरकार उसपर कार्रवाई करेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी जगह पर जाकर बोलिये न ! नहीं जाइयेगा ?

(व्यवधान जारी)

मामला मक्का का है या गिरिराज सिंह का ?

माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही...... अपनी-अपनी जगह पर जाइये । आप नहीं चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले ?

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/आजाद/19.03.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष : श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी को बोलने दीजिए न ।

<u>प्रतिवेदन का रखा जाना</u>

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''दिनांक 16 मार्च, 2018 के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''दिनांक 16 मार्च, 2018 के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो । ''

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :-

1. बुधवार, दिनांक 4 अप्रील, 2018 को सभा की बैठक नहीं हो,
2. बुधवार, दिनांक 4 अप्रील, 2018 के लिए निर्धारित गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प) मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2018 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय से संबंधित विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन के उपरान्त लिये जायेंगे ।
3. शेष कार्य यथावत रहेंगे ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बिहार का माहौल बिगाड़ने के लिए केन्द्र के मंत्री बिहार आ रहे हैं, गिरिराज सिंह हों या फिर अश्विनी कुमार चौबे जी हों ......

अध्यक्ष : यह तो आप सुबह में कह ही चुके हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं सर, गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिहार के माहौल को, शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए विष वमन करने का काम कर रहे हैं ......

(व्यवधान)

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज परिवहन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा :-

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण कुछ बोलते हुये वेल में आ गये)

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
जनता दल (युनाइटेड)	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, अपनी मॉग प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''परिवहन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 1,22,69,08,000/- (एक अरब बाइस करोड़ उनहत्तर लाख आठ हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री भोला यादव, श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री महबूब आलम एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं और जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री भोला यादव का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें - अनुपस्थित ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें - अनुपस्थित

श्री समीर कुमार महासेठ - अनुपस्थित

श्री जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव - अनुपस्थित ।

श्री राजेन्द्र कुमार - अनुपस्थित

श्री महबूब आलम - अनुपस्थित

श्री ललित कुमार यादव, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें । नहीं करियेगा, चलिये नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आया, इसलिए मूल प्रस्ताव पर ही विचार-विमर्श होगा ।

श्री शमीम अहमद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, अभी जो बिहार सरकार का परिवहन विभाग का बजट आया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, खासकर के न्याय के साथ बिहार में जो विकास हो रहा है, जिसके चलते सभी क्षेत्र में विकास हुआ है । जिसमें सड़क की अधिकता जो हुई है, जिसमें परिवहन विभाग का बड़ा महत्व हो गया है । परिवहन विभाग में बजट भी बढ़ा है । खासकर के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं, वो परिवहन विभाग को खासकर शेफ्टी के संबंध में उनको बहुत चिन्ता है । आज बढ़ता बिहार, न्याय के साथ विकास जो बिहार का हो रहा है, उसमें खासकर के अभी रोड सेफ्टी पर जो सरकार का वक्तव्य आया है पिछले दिनों, वह सराहनीय है । मुजफ्फरपुर घटना के बाद सरकार और प्रयत्नशील है और खासकर जो लोग रोड सेफ्टी नहीं जानते थे, आज हमारे सड़कों की सुविधा बढ़ी है । सड़कें बढ़ने के चलते चाहे दो चक्का का वाहन हो या चार चक्का का वाहन हो या माल ढुलाई का वाहन हो, बिहार के स्तर पर बिहार में खासकर देश के और हिस्से की बदौलत लगता है कि बहुत विकास किया है । हम चाहेंगे कि रोड शेफ्टी मसला पर और इसको क्रियाशील किया जाय । रोड शेफ्टी पर हम चाहेंगे कि जो स्पॉट है, वहां पर चुनकर के सेफ्टी के बारे में एक अलग मापदंड बनाकर इसका किया जाय ।

(व्यवधान)

सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, खासकर के वर्ष 2017-18 में परिवहन विभाग का स्कीम मद में 11.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 49.05 करोड़ रू0 कुल प्राक्कलन 60.05 करोड़ रू0 था तथा वर्ष 2018-19 में स्कीम मद में 43.00 करोड़ रू0 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 79.69 करोड़ रू0 कुल प्राक्कलन 122.69 करोड़ रू0 है ।

परिवहन विभाग का वर्ष 2015-16 में राजस्व संग्रहण 1070.96 करोड़ रू0, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्व संग्रहण 1249.61 करोड़ रू0 था, जो पिछल वर्ष से 16.84 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2017-18 के जनवरी माह तक राजस्व संग्रहण 1204.78 करोड़ रू0 की वसूली हो चुकी है । वर्ष 2018-19 हेतु 2000 करोड़ रू0 राजस्व वसूली का लक्ष्य है ।

..... क्रमशः ......

टर्न-4/अंजनी/दि019.03.18

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मेश्वर राय : क्रमशः..... अध्यक्ष महोदय, वाहनों की बिक्री एवं निबंधन के क्षेत्र में भी प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गयी है । वर्ष 2006-07 में जहां मात्र 1.47 लाख वाहनों का निबंधन हुआ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.63 लाख वाहनों का निबंधन हुआ है । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दिसम्बर माह तक 6.93 लाख वाहनों का निबंधन किया जा चुका है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन में बार-बार इस सवाल को उठा रहा हूँ कि जो माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो अपने आसन पर जाकर कहेंगे तो सरकार उनको सुनेगी भी, सूचना ग्रहण भी करेगी और उसका उत्तर भी सरकार देगी लेकिन कोई प्रश्न पूछते नहीं हैं । आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर, परिवहन विभाग पर चर्चा हो रही है लेकिन चर्चा में इनको कटौती करने का भी साहस नहीं हो रहा है । महोदय, ये सदन के समय को बाधित करने का काम कर रहे हैं ।

महोदय, मैं आसन के माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई बात कहना चाहते हैं तो आप अपनी जगह पर जाकर कहें, सरकार उसका उत्तर देगी । सरकार जवाब देने के लिए तैयार है । मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आप अपनी जगह पर जायें ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, वाहन निबंधन के सभी कार्य वर्तमान में वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने की कार्रवाई 35 जिलों में प्रारंभ की गयी है, शेष 3 जिलों में भी

कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जायेगा । इस सुविधा के लागू होने से डीलर प्वाइंट पर ही निबंधन की व्यवस्था प्रारंभ हो जायेगी तथा सभी सुविधायें ऑन लाईन उपलब्ध होगी । महोदय, सारथी-4.0 सॉफ्टवेयर को राज्य के सभी जिलों में यथाशीघ्र लागू किये जाने की कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित डाटा को अपग्रेड किया जा रहा है । इसके लागू होने से आम-जन ऑनलाईन माध्यम से अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे तथा सभी डी0एल0 का डाटा ऑनलाईन हो जायेगा । परिवहन विभाग द्वारा व्यवसायिक वाहनों के कर प्राप्ति हेतु पूर्व से ई-पेमेंट की व्यवस्था थी, जिसे अब वित्त विभाग के द्वारा विचलित ओ-ग्रास पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे आम-जनों को घर बैठे टैक्स टोकन के साथ-साथ ई-पेमेंट के माध्यम से सभी राशि का भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी । महोदय, राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी व्यवसायिक वाहनों पर गति नियंत्रक उपकरण एवं रिफलेक्टिव टेप लगाये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की गयी है । विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी जगह पर जाकर बोलिये तो कुछ समझ में आयेगा ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही..... आप सुन तो लीजिए कि कबतक के लिये स्थगित होगी

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 4:50 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-5/शंभु/19.03.18

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब सरकार का वक्तव्य होगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, वक्तव्य से पहले आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का दरभंगा के संबंध में एक आधिकारिक बयान आया है । उस बयान के ठीक उल्टा केन्द्र सरकार के मंत्री का भी बयान आया तो दरभंगा की घटना और फिर भागलपुर की घटना के संबंध में भी एक केन्द्रीय मंत्री जी का बयान आया है और उनके पुत्र का नाम भी एफ0आइ0आर0 में आया है। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को अस्थिर करने के बाबत जो केन्द्र सरकार के मंत्रियों का बयान हो रहा है । महोदय, यदि उस वक्त सुन लेते तो सदन में व्यवधान पैदा नहीं होता ।

अध्यक्ष : माननीय श्री सिद्दिकी जी लेकिन इस सदन से रिश्ता तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ही है । अब सरकार का परिवहन विभाग का वक्तव्य होगा । माननीय मंत्री परिवहन विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव शरीर में जो महत्व रक्त संचार का है वही महत्व सभ्यता एवं जीवन के विकास में परिवहन का होता है । किसी भी समाज की समृद्धि, उन्नति एवं संस्कृति वहां के सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण परिवहन से सीधे संबंधित होती है। बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में सरकार के गठन के उपरांत राज्य के विकास में परिवहन विभाग की भूमिका में उत्तरोतर बढ़ोत्तरी हुई है । अध्यक्ष महोदय, देश में एक बड़े रेल नेटवर्क होने के बावजूद आमजनों द्वारा परिवहन हेतु सड़क मार्ग का भरपूर उपयोग किया जाता है । देश और राज्य के आर्थिक प्रगति में सड़क परिवहन प्रक्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है । यह प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

सुगम तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था आज की सबसे बड़ी चुनौती है । आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस दिशा में दिन-प्रतिदिन अनेक सुधार किये जा रहे हैं । बिहार राज्य में इस प्रकार की पहल की जा रही है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0 सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

परिवहन रोजगारोन्मुखी प्रक्षेत्र के साथ-साथ छोटे व्यवसायियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराता है । राज्य के परिवहन प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए इसे सरलीकृत किया जा रहा है जिससे छोटे व्यवसायियों को त्वरित लाभ मिल सके । अध्यक्ष महोदय, जन कल्याण के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यापक पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता रहती है । इस कारण परिवहन विभाग से प्राप्त राजस्व का काफी महत्व है । यह उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग से प्राप्त होनेवाले आय में लगातार वृद्धि हुई है जो चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक लगभग 1300 करोड़ की वसूली हुई है । जो वर्ष 2006-07 में मात्र 200 करोड़ थी । अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की तरफ से बहुत ज्यादे इश्यू हैं और उन इशुओं के बारे में यदि चर्चा हमलोग करें तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन प्रमुख-प्रमुख बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ । माननीय सभी सदन के सदस्यगण हैं - अभी सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग के तरफ से और माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से सड़क सुरक्षा माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सड़क सुरक्षा के लिए हमलोग बिहार में परिवहन विभाग काम कर रहा है । आयेदिन बिहार में निरंतर रोड दुर्घटनाएं हो रही है । उसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में विभाग एक नोडल विभाग के तौर पर काम कर रहा है । इसमें कई विभाग है और उसकी मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा । लेकिन सबसे पहले मैं जो मुजफ्फरपुर में 9 स्कूली बच्चों की मृत्यु हुई और आपके 17 तारीख को सीतामढ़ी मानसी सहेजपुर में जो बस दुर्घटना हुई उसमें 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । उन सभी परिवार के प्रति हम शोक प्रकट करते हैं और पीड़ित परिवारों के प्रति सदन के माध्यम से शोक प्रकट करते हैं । अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में गाड़ियों के निबंधन में काफी वृद्धि हुआ है । राज्य में विकास एवं समृद्धि का कारण गाड़ियों की बिक्री एवं निबंधन में भी काफी जहां 2006-07 में मात्र 1 लाख 47 हजार वाहनों का निबंधन हुआ था वहीं 2017-18 में अभी तक साढ़े 9 लाख वाहन निबंधित हुए हैं । निबंधन के वृद्धि में वार्षिक औसतन 17.44 प्रतिशत है । अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग बसों को रूट की स्वीकृति भी प्रदान करता है । आपको बताते हुए खुशी हो रही है, सदन को बताते हुए खुशी हो रही है । महोदय, बिहार राज्य के द्वारा अन्तर्राज्यीय यातायात की सुविधा हेतु विभिन्न राज्यों के साथ पारस्परिक समझौता किया गया है । झारखण्ड के साथ 200 मार्गों पर, छत्तीसगढ़ के साथ 28 मार्गों पर, उड़ीसा के साथ 35 मार्गों पर, पश्चिम बंगाल के साथ 45 मार्गों पर, उत्तर प्रदेश के साथ 34 मार्गों पर अन्तर्राज्यीय परिवहन समझौता किया गया है । अध्यक्ष महोदय, अन्तर्देशीय मार्गों पर यात्री बसों के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए 3284 मार्गों को चिन्हित किया गया है । इसके अतिरिक्त भारत, नेपाल के बीच हुए पारस्परिक समझौता 2015 के आलोक में पटना से जनकपुर तथा बोध गया से काठमांडू पथ पर परमिट निर्गत किया गया है । यह परिवहन सेवा शीघ्र प्रारंभ कर दी जायेगी । महोदय, सबसे पहले मैं सड़क सुरक्षा पर और सड़क सुरक्षा से भी जो दुर्घटनाएं हुई और उन दुर्घटनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री

जी ने जो चिंता व्यक्त की और हमलोग चाहते हैं कि पूरे बिहार में इसमें 50 परसेंट की कमी करें । जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है देश के पैमाने पर, विश्व के पैमाने पर और उस आधार पर हमलोग बिहार राज्य में दुर्घटनाओं में कमी करें । मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि जन चेतना, जन जागरण के साथ मिलकर इसपर हमलोगों को काम करना पड़ेगा, तब दुर्घटनाओं में केमी होगी । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फरवरी 2018 को मुजफ्फरपुर जिला में जो दुर्घटनाएं हुई उसपर चिंता व्यक्त करते हुए एक उच्च स्तरीय कमिटी बनाने का काम किये हैं । वह कमिटी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में काम कर रही है और एक बैठक भी उसमें हुई है । मेरा अपना मानना है कि हम परिवहन विभाग के सभी अधिकारी उसमें लगे हुए हैं । हम सभी लोग इसपर अंकुश लगायेंगे, इसपर हमलोग काम करेंगे । इसलिए आज बहुत ही संक्षेप में जो हम सबों को बोलने का मौका मिला । मैं अपने लिखित वक्तव्य को प्रोसिडिंग का पार्ट बनाना चाहता हूँ, दे दूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,

आहिस्ता चल रे जिंदगी, कुछ कर्ज अभी बाकी है ।
कुछ के दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं ।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन से चाहूंगा कि राज्यहित में परिवहन विभाग की मांग सं0-47 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग 122 करोड़ 69 लाख 8 हजार रूपये पर सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करे । धन्यवाद।

टर्न-6/अशोक/19.03.2018

अध्यक्ष : सरकार का वक्तव्य समाप्त हुआ । आज परिवहन विभाग की मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है, अतएव मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 1,22,69,08,000/-(एक अरब बाईस करोड़ उनहत्तर लाख आठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह ऐतिहासिक क्षण है कि ओपोजिशन कटौती के लायक भी नहीं रहा, इससे बेहतर खुशी का सवाल क्या होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 56(छप्पन) है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जायं ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

1 परिशिष्ट

माननीय अध्यक्ष महोदय,

परिवहन विभाग के वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान मॉग संख्या 47 का प्रस्ताव सभा पटल पर रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्य श्री.. ने अपने बहुमूल्य सुझावों से अवगत कराने की कृपा की है, उन माननीय सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय,

मानव शरीर में जो महत्व रक्त संचार का है वही महत्व सभ्यता एवं जीवन के विकास में परिवहन का होता है। किसी भी समाज की समृद्धि, उन्नति एवं संस्कृति वहाँ के सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण परिवहन से सीधे संबंधित होती है। बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में सरकार के गठन के उपरान्त राज्य के विकास में परिवहन विभाग की भूमिका में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है।

देश में एक बड़े रेल नेटवर्क होने के बावजूद आम जन द्वारा परिवहन हेतु सड़क मार्ग का भरपूर उपयोग किया जाता है। देश और राज्य की आर्थिक प्रगति में सड़क परिवहन प्रक्षेत्र की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। सुगम तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस दिशा में दिन–प्रति–दिन अनेक सुधार किये जा रहे है। बिहार राज्य में भी इस प्रकार की पहल की जा रही है। परिवहन रोजगारोन्मुखी प्रक्षेत्र होने के साथ–साथ छोटे व्यवसायियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराता है। राज्य के परिवहन प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए इसे सरलीकृत किया जा रहा है जिससे छोटे व्यवसायियों को त्वरित लाभ मिल सकेगा।

जनकल्याण के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यापक पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता रहती है। इस कारण परिवहन विभाग से प्राप्त राजस्व का काफी महत्व है। यह उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग से प्राप्त होने वाली आय में लगातार वृद्धि हुई है जो चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक लगभग 1300 करोड़ की वसूली हुई है, जो वर्ष 2006–07 में मात्र 200 करोड़ था।

2. **गाड़ियों के निबंधन में वृद्धि:–**

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में विकास एवं समृद्धि के कारण गाड़ियों की बिक्री एवं निबंधन में भी भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2006–2007 में जहाँ मात्र एक लाख सैंतालीस हजार वाहनों का निबंधन हुआ वही 2017–18 में अभी तक साढ़े नौ लाख वाहन निबंधित हुए हैं। निबंधन में वृद्धि दर वार्षिक औसतन 17.44 प्रतिशत है।

3. **बस रूटों की स्वीकृति :–**

अध्यक्ष महोदय,

बिहार राज्य के द्वारा अन्तर्राज्यीय यातायात की सुविधा हेतु विभिन्न राज्यों के साथ पारस्परिक समझौता किया गया। झारखण्ड के साथ 200 मार्गो पर छत्तीसगढ़ के साथ 28 मार्गो पर उड़ीसा के साथ 35 मार्गो पर पश्चिम बंगाल के साथ 45 मार्गो पर एवं उत्तर प्रदेश के साथ 34 मार्गो पर अन्तर्राज्यीय परिवहन समझौता किया गया है। अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो पर यात्री बसों के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए 3284 मार्गो को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल के बीच में हुए पारस्परिक समझौता 2015 के आलोक में पटना से जनकपुर तथा बोधगया से काठमांडु पथ पर निर्गत किया गया है। यह परिवहन सेवा शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी।

4. **सड़क सुरक्षाः–**

माननीय महोदय,

5. **आधुनिक परिवहन कार्यालय की स्थापनाः–**

अध्यक्ष महोदय,

सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आम जनता तथा वाहन मालिकों को अधिक सुविधा पहूँचाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला में आधुनिक परिवहन कार्यालय का निर्माण कार्य चालू है, अबतक 21 जिलों में काम पूरा भी हो गया है। बाकी जिलों में भी जल्दी ही निर्माण पूरा किया जायेगा। जिसमें सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा, बक्सर, लखीसराय में कार्य निर्माणाधीन है एवं किशनगंज, शिवहर, भोजपुर, नवादा में भूमि उपलब्ध हो गया है। इन जिलों में भी आधूनिक परिवहन कार्यालय का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जायगा।

6. **परिवहन निगमः–**

अध्यक्ष महोदय,

आम जनता को सस्ती बस सेवा मुहैया कराने हेतु निगम तत्पर है, इसके अन्तर्गत जेनुरूम योजना के तहत निगम द्वारा 356 बसें परिचालित की जा रही है, पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास का एक इन्टर स्टेट बस टर्मिनल का शिल्यानास करने का काम किये। जिसमें परिवहन निगम की सारी आधुनिक सुविधायें काम करेगी।

अध्यक्ष महोदय,

विगत साल जो गुरू गोविन्द सिंह जी की 350 वें प्रकाशपर्व, आयोजित था उसमें और इस वर्ष शुकराना समारोह में भी निगम की बसों का परिचालन निःशुल्क किया गया है, केवल शुकराना समारोह में दो लाख 30 हजार श्रद्धालुओं ने यात्रा की जिससे देश–दुनिया में एक बिहार के प्रति एक अच्छा संदेश गया।

7. **सर्वक्षमा योजनाः–**

अध्यक्ष महोदय,

परिवहन राजस्व को बढ़ाने तथा प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित व्यावसायिक वाहनों विशेषतः कृषि कार्य में संलग्न ट्रेक्टरों–टेलरों को एक और अवसर निबंधन के लिए 30 जून 2018 तक दिया गया है। अभीतक इससे लगभग **31 करोड़ रूपये** की आमदनी हुई है तथा **17000** से अधिक वाहन मालिकों ने इसका लाभ उठाया है।

8. **वाहन–4 सॉफ्टवेयरः–**

अध्यक्ष महोदय,

जनता को पारदर्शी एवं त्वरित सेवा देने के लिए देश में लागू आधुनिक **वाहन–4** साफ्टवेयर पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इससे गाड़ियों से संबंधित कोई भी कार्य परिवहन कार्यालय में बिना किसी देरी तथा कठिनाई के संभव हो पायेगा।

10. **स्मार्ट कार्ड/डी०एल०:–**

अध्यक्ष महोदय,

गाड़ियों की सुरक्षा एवं चालकों की सही जानकारी के लिए आधुनिक स्मार्ट कार्ड/डी०एल० अब निर्गत किये जा रहे है।

11. **HSRP नया रजिस्ट्रेशन प्लेटः–**

अध्यक्ष महोदय,

सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि गाड़ियों के अवैध चालन, चोरी, तथा अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिदेश के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट गाड़ियों में लगाया जा रहा है। इसके लिए सभी 38 जिलों में एफिक्सिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इससे आतंकवादी गतिविधियों पर भी लगाम लगेगा।

अध्यक्ष महोदय,

परिवहन विभाग वाहनों का निबंधन, कर संग्रहण, प्रदूषण पर नियंत्रण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन एवं सड़क

सुरक्षा के संबंध में निरन्तर अहर्निश संवेदनशील, प्रयासरत एवं दृढ़ संकल्पित है। इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है। परिवहन विभाग को राजस्व संग्रहण के साथ–साथ जनता उन्मुखी विभाग भी बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

मैं विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारियों, अधिकारियों को बधाई देने का काम करना चाहता हूँ कि हम सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजस्व संग्रहण के साथ–साथ समाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करें। महिला सशक्तिकरण हेतु वैसी महिलाओं के बारे में भी सोचते है, जो ड्राईवरी लाईसेन्स होल्ड करती है, जिनके पास अपने वाहन है जो स्वंय चलाना जानती है। उनके लिए वाहन कर में हमलोग 100 प्रतिशत छुट देते है। साथ ही वैसे दिव्यंजनों जो बसों में यात्रा करते है, पूर्व से ही उनके लिए सीटो को आरक्षित करते आ रहे है तथा महिलाओं को यात्रा में सीटो को आरक्षित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भी हम आरक्षित कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि राज्य हित में वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले। साथ ही परिवहन विभाग मॉग सं0–47 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तुत अनुदान की मॉग 122 करोड़ 69 लाख 8 हजार रूपये की मॉग पर सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

धन्यवाद!